अपील क्रमांक 220 / बो.प्र. / नि.स. / 2025 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक / 05 / 2025

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 220 / बो.प्र. / नि.सहा. / 2025</u>

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार), सड़क नं.–1, कसारीडीह दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन को. 491001 मो. 7580999009 email id : amantravelsdurg@gmail.com	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

<u>आदेश दिनांक 02.05.2025</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार) द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 220250208000927 दिनांक 13.04.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 02.05.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "आपके प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग रायपुर से मुझे वर्ष 2020 से आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ में पीस वर्क में कराए गए कार्यो की जानकारी, कार्यो की सूची/आवंटित राशि की जानकारी " उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250208000927 दि. 08.02.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने के कारण असंतुष्ट होकर ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 220250208000927 दिनांक 13.04.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दि. 02.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट एवं ऑनलाईन माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि "जनसूचना अधिकारी के द्वारा यह कहते हुए की मेरे द्वांरा चाही गयी की जानकारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय अर्थात संभागीय कार्यालय से संबंधित है वहां से पीस वर्क के कार्य दिए जाते हैं महोदय जी मेरा यह कहना है कि संभागीय कार्यालय से पीस वर्क तो दिए जाते हैं परंतु इसकी जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय को दी जाती है तथा बजट आवंटन भी प्रमुख अभियंता कार्यालय से दी जाती है, इसलिए सारी जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में आती है, तथा वहाँ से अबंटन स्वीकृति प्रदान की जाती है, अतः मैंने प्रत्येक संभागीय या मण्डल कार्यालय से जानकारी एकत्र करने की बजाय प्रमुख अभियंता कार्यालय में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। बावजूद उसके जन सूचना अधिकारी के द्वारा मेरे अनेक आवेदनों में इसी तरीके से जानकारी देने से बचने की कवायत की गई है पता नहीं उन्हें मेरे से व्यक्तिगत क्या प्रॉब्लम है वह मेरे कई आवेदन इससे पूर्व के आप देख सकते हैं सभी में उनके द्वारा जानकारी देने से बचने की कोशिश की गई है बहाना बाजी की गई है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा चाही गई वांछित जानकारी निशुल्क दिलाने का कष्ट करें, कृपया मुझे द्वितीय अपील में जाने हेतु बाध्य ना किया जाए।" अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी दिनांक 02.05.2025 को सुनवाई में अनुपस्थित थे। उन्होंने उनके पत्र क्रमांक 4112275/68/छ.ग./2025/3611, दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220250208000927 दिनांक 08.02.2025 जनसूचना प्रकोष्ठ को दिनांक 12.02.2025 प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती तकनीकी कक्ष की ओर दिनांक 27.02.25 को प्रस्तुत की गई। स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 27.02.25 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि पीस वर्क से संबंधित जानकारी इस कार्यालय में संधारित नहीं होता है। पीस वर्क से संबंधित कार्य इस कार्यालय के अधीन समस्त संभाग के अंतर्गत संधारित की जाती है। अतः वांछित जानकारी हेतु मैदानी कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/68/छ.ग./2025/1997, दिनांक 03.03.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।

5. जनसूचना अधिकारी ने आवेदक द्वारा दिनांक 08.02.2025 को प्रस्तुत आनलाइन आवेदन का निराकरण दिनांक 03.03.2025 को अर्थात् 24 दिनों में किया जो कि अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा के अंतर्गत है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि जनसूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन वांछित जानकारी हेतु 27.02.2025 को तकनीकी कक्ष को भेजा गया अर्थात 20 दिनों में सूचना प्रकोष्ठ से जानकारी मांगे जाने की कार्यवाही प्रांरभ की गयी, जो कि अत्याधिक है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण किये जाने की अधिकतम समयसीमा 30 दिनों की निर्धारित है, इसका कदापि यह आशय नहीं है कि आवदेन का निराकरण किये जाने हेतु अंतिम तिथि तक इंतजार किया जावे। अतः भविष्य में जनसूचना अधिकारी को अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का न्यायसंगत निराकरण यथाशीघ्र (अधिकतम 30 दिन) किये जाने की सलाह दी जाती है।

6. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 03.03.2025 को आवेदक को उनके आवेदन के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इस प्रकार प्रकरण में अपील किये जाने की 30 दिनों की समय–सीमा 03.04.2025 को समाप्त हो चुकी थी। इसी आाधार पर प्रथम अपील निरस्त की जा सकती थी, परंतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निहित मंशानुसार अपील का न्यायसंगत निराकरण किया जा रहा है।

7. अपील के निराकरण हेतु यह तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या जनसूचना अधिकारी द्वारा आवदेक को पृथक–पृथक कार्यालय में आवदेन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने दी गयी सलाह अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है? आवेदक ने अपने आवेदन में **"आपके प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग रायपुर से मुझे वर्ष 2020 से आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ में पीस वर्क में कराए गए कार्यो की जानकारी, कार्यो की सूची/आवंटित राशि की जानकारी"** से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी। ऐसे दस्तावेज लोक प्राधिकारी के रूप में इस कार्यालय में धारित नहीं किये जाते हैं। इनसे संबंधित दस्तावेज इनके लोक प्राधिकारी के अंतर्गत विभिन्न संभागों में उपलब्ध होंगे, अर्थात पृथक–पृथक जनसूचना अधिकारियों से संबंधित जानकारी की मांग आवेदक द्वारा की गयी है। तत्संबंध में भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपित्र क्रं. सं. 10/2/2008–आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबंद्ध सूचना मांगी गयी हो, के माध्यम से जारी मार्गदर्शन की कंडिका 3 (iii) का उद्धरण निम्नानुसार है :–

3 (iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकारियों को अलग–अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग–अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन दें। स्मरणीग है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा

1/3

धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलो में सूचना का संबंध किसी 'लोक प्राधिकरण विशेष' से नही होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। **यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप–धारा (3) में 'दूसरे लोक प्राधिकरण' का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में।**

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी कार्यालय से संबंधित न होकर अन्य 61 संभागों से संबंधित है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपित्र क्रं. सं. 10/2/2008–आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रं. 4112275/68/छ.ग./2025/1997 दिनाक 03.03.2025 द्वारा वांछित जानकारी हेतु मैदानी कार्यालयों को पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदक/अपीलार्थी को दी गयी सलाह दिया जाना, अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप विधिसम्मत है।

8. **अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर, प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–**

उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी द्वारा, अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी हेतु संबंधित संभागों में पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने की सलाह दिया जाना, अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ

......5

पृ.क्रं./220/बो.प्र./नि.स./2025/4037 नवा रायपुर, दिनांक 05/5/2025

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार), सड़क नं.–1, कसारीडीह दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन को. 491001 मोबाईल न. – 7580999009, email id : amantravelsdurg@gmail.com की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)